भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्या : 149

उत्तर देने की तारीख : 16 दिसम्‍बर, 2013

**विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रोफेसरों के रिक्त पद**

**\*149 . श्री नरेश अग्रवालः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रोफेसरों की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण लगभग चालीस प्रतिशत पद रिक्त हैं जिसके फलस्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) क्या इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री एम. एम. पल्‍लम राजू)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रोफेसरों के रिक्त पद के संबंध में माननीय संसद सदस्‍य श्री नरेश अग्रवाल** **द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं. 149 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में संदर्भित विवरण।**

(क): प्रोफेसर स्‍तर पर रिक्‍त पदों की प्रतिशतता सभी संस्‍थाओं और संस्‍थाओं के विभिन्‍न वर्गों में अलग-अलग हैं। यद्यपि अधिकांश केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों में प्रोफेसर स्‍तर पर 40% से अधिक संकाय की कमी है तथापि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थानों (आईआईटी) और राष्‍ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्‍थानों (एनआईटी) जैसी केन्‍द्र-पोषित तकनीकी संस्‍थाओं के लिए यह बात सही नहीं है। इसी प्रकार, केन्‍द्र-पोषित अधिकांश सम-विश्‍वविद्यालयों में भी प्रोफेसर स्‍तर पर पर्याप्‍त संकाय है।

(ख): जी, हां।

(ग): केन्‍द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रही है कि गुणवत्‍ता के साथ किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाए। प्रोफेसर के पदों में कमी का मुख्‍य कारण एसोसिएट प्रोफेसर के फीडर काडर में कमी, 11वीं योजना अवधि में विस्‍तार और छात्रों की भर्ती क्षमता में वृद्धि के कारण अतिरिक्‍त शिक्षण पदों की स्‍वीकृति पेंशन योजना की नॉन-पोर्टेबिलिटी आदि को देखते हुए उपयुक्‍त उम्‍मीदवारों का न मिलना है।

शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए केन्‍द्रीय शिक्षा संस्‍थाओं में शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु को बढ़ाकर पैंसठ वर्ष कर दिया गया है और शैक्षिक कर्मचारियों की गतिशीलता को अभिशासित करने वाली शर्तों को आसान बना दिया गया है। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों को सलाह दी है कि वे अतिशीघ्र शिक्षण पदों को भर लें। पैंसठ वर्ष की आयु के बाद सत्‍तर वर्ष की आयु तक संविदा आधार पर रिक्‍त पदों की उपलब्‍धता और योग्‍यता के अध्‍यधीन शिक्षकों के पुन: नियोजन की अनुमति है। विश्‍वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्‍य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्‍यूनतम अर्हताएं तथा उच्‍चतर शिक्षा मानकों के अनुरक्षण के उपायों से संबंधित यूजीसी विनियमन, 2010 के पैरा 12.2 में स्‍पष्‍ट रूप से उल्‍लेख किया गया है कि विश्‍वविद्यालय प्रणाली में सभी स्‍वीकृत/अनुमोदित पदों को तत्‍काल आधार पर भरा जाएगा।

यूजीसी ने सभी स्‍तरों पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए भी उपाय किए हैं। इन उपायों में कमी को पूरा करने के लिए विश्‍वविद्यालयों को अनुबंध/अतिथि संकाय नियुक्‍त करना; संकाय के लिए संविदागत नियुक्तियों की अनुमति देना; शैक्षिक स्‍टाफ कॉलेजों का पुनरूद्धार करना आदि शामिल है। यूजीसी ने विश्‍वविद्यालयों को विज्ञान आधारित शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने, अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलनों में अनुसंधान दस्‍तावेजों की प्रस्‍तुति के लिए विश्‍वविद्यालयों को अनुदान देना; अनुसंधान को प्रोत्‍साहित करने के उद्देश्‍य से विश्‍वविद्यालयों की अनुसंधान अनुदान में वृद्धि करना।

राज्‍य विश्‍वविद्यालयों और कॉलेजों में संकाय की कमी और भी विकट है। अनेक राज्‍यों में नियमित संकाय की भर्ती पर वास्‍तविक प्रतिबंध लगा है। राज्‍य विश्‍वविद्यालय प्रणाली से संबंधित अन्‍य मामलों के साथ इस जटिल विषय का समाधान करने की दृष्टि से, केन्‍द्र सरकार ने हाल ही में 22,855 करोड़ रू. के परिव्‍यय के साथ राष्‍ट्रीय उच्‍चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) अनुमोदित किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरयूएसए के अधीन कुल 5000 नये संकाय पदों को सहायता दी जाएगी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्‍त पदों को भरने के कार्यक्रम की लगातार निगरानी कर रहा है। इस मामले पर भारत के राष्‍ट्रपति की अध्‍यक्षता में 5 फरवरी, 2013 को आयोजित केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्‍मेलन में भी, जिसमें कुलपतियों को समयबद्ध आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए प्रेरित किया गया था, चर्चा की गई थी। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी कुलपतियों को लिखा है कि वे इस निर्णय को प्राथमिकता आधार पर कार्यान्वित करें और तिमाही आधार पर प्रगति रिपोर्ट भेजें। इस मामले की 19 जुलाई, 2013 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्‍यक्षता में आयोजित कुलपतियों के सम्‍मेलन में, जिसमें कुलपतियों को अतिशीघ्र रिक्‍त पदों को भरने के लिए प्रेरित किया गया था, पुन: समीक्षा की गई थी।

भारत सरकार ने संकाय की कमी के संबंध में कार्यबल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने और निगरानी करने के लिए एक कार्यान्‍वयन निगरानी समिति का गठन किया है। कार्यान्‍वयन निगरानी समिति ने अब तक 4 बैठकें आयोजित की हैं। यूजीसी ने संकाय भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए संकाय भर्ती विकास प्रकोष्‍ठ (एफआईडीसी) की स्‍थापना के संबंध में अनुदान प्राप्‍त करने वाले सभी केन्‍द्रीय, राज्‍य विश्‍वविद्यालयों और सम-विश्‍वविद्यालयों को लिखा है।

\*\*\*\*\*